मराठा कोटा

प्रलिमि्स के लयि:

सामाजकि और शैक्षणकि रूप से पछिड़ा वर्ग (SEBC), मराठा आरक्षण, वर्ष 2018 का 102वाँ संशोधन अधनियिम

मेन्स के लयि:

राष्ट्रीय पछिड़ा वर्ग आयोग, आरक्षण से संबंधति संवैधानकि प्रावधान

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस]

चर्चा में क्यों?

हाल ही में महाराष्ट्र में मराठा समुदाय द्वारा एक बार फरि से **शैक्षणकि संस्थानों और सरकारी नयिुक्तयिों में आरक्षण** की मांग की गई है।

मराठा आरक्षण की मांग का इतहिास और स्थतिि:

- **इतहिास:**
  - मराठा जातयिों का एक समूह है, जसिमें कसिानों और ज़मींदारों के अलावा अन्य व्यक्तशिामलि हैं,**जो राज्य की आबादी का लगभग 33% है।**
    - हालाँकअिधकिांश मराठा, मराठी भाषी हैं, कतिु सभी मराठी भाषी व्यक्तमिराठा समुदाय से नहीं हैं।
  - ऐतहिासकि रूप से उनकी पहचान **बड़ी भूमजिोत वाली 'योद्धा' जातके रूप में की गई है।**
  - हालाँकपिछिले कुछ वर्षों में भूमविखिंडन, कृषसिंकट, बेरोज़गारी एवं शैक्षकि अवसरों की कमी जैसे कारकों के कारण कई मराठा लोगों को सामाजकि-आर्थकि पछिड़ेपन का सामना करना पड़ा है। यह समुदाय अभी भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमकिा नभिाता है।
    - इसलयि वे **सामाजकि और शैक्षणकि रूप से पछिड़े वर्ग (SEBC) की श्रेणी के तहत सरकारी नयिुक्तयिों तथा शैक्षणकि संस्थानों** में आरक्षण की मांग कर रहे हैं।
- **मराठा आरक्षण मांग की स्थतिि:**
  - **वर्ष 2017:**
    - **सेवानविृत्त न्यायाधीश एन जी गायकवाड़ की अध्यक्षता वाले 11 सदस्यीय आयोग** ने सफिारशि की कि**मराठों को** सामाजकि और शैक्षकि रूप से पछिड़े वर्ग (SEBC) के तहत **आरक्षण दयिा जाना चाहयि।**
  - **वर्ष 2018:**
    - महाराष्ट्र वधिानसभा ने **मराठा समुदाय के लयि 16% आरक्षण** का प्रस्ताव वाला वधियक पारति कयिा।
  - **वर्ष 2018:**
    - बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आरक्षण को बरकरार रखते हुए कहा कइिसे 16% के बजाय**शक्षिा में 12%** और **नौकरयिों में 13% कयिा जाना चाहयि।**
  - **वर्ष 2020:**
    - भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इसके कार्यान्वयन पर रोक लगा दी और मामले को**एक बड़ी पीठ के लयि भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दयिा।**
  - **वर्ष 2021:**
    - सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1992 में नरि्धारति कुल आरक्षण पर 50% की सीमा का हवाला देते हुए वर्ष 2021 में मराठा आरक्षण को रद्द कर दयिा।
      - 12% एवं 13% (क्रमशः शक्षिा और नौकरयिों में) के मराठा आरक्षण ने कुल आरक्षण सीमा को क्रमशः 64% और 65% तक बढ़ा दयिा था।
    - इंदरिा साहनी फैसले, 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कआिरक्षण की सीमा **50% होगी** केवल कुछ असामान्य और असाधारण स्थतियिों में दूर-दराज़ के क्षेत्रों की आबादी को मुख्यधारा में लाने के लयि आरक्षण में **50%** की छूट

दी जा सकती है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि महाराष्ट्र में राज्य सरकार द्वारा सीमा का उल्लंघन करने की कोई "असाधारण परिस्थिति" या "असाधारण स्थिति" नहीं थी।
    - इसके अलावा न्यायालय ने फैसला सुनाया कि राज्य के पास किसी समुदाय को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े का दर्जा देने का कोई अधिकार नहीं है। न्यायालय के अनुसार, **केवल राष्ट्रपति ही सामाजिक और पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में बदलाव कर सकता है, राज्य केवल "सुझाव" दे सकते हैं।**
- **बेंच ने सर्वसम्मति से** 102वें संविधान संशोधन की संवैधानिक वैधता **को बनाए रखा, लेकिन इस सवाल पर मतभेद था कि क्या इससे SEBC की पहचान करने की राज्यों की शक्ति प्रभावित होगी।**
- **सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मराठा समुदाय के लिये अलग आरक्षण** अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (कानून की उचित प्रक्रिया) **का उल्लंघन करता है।**

◦ **वर्ष 2022:**

- नवंबर 2022 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिये 10% कोटा बनाए रखने के बाद राज्य सरकार ने कहा कि जब तक मराठा आरक्षण का मुद्दा हल नहीं हो जाता, तब तक समुदाय के आर्थिक रूप से कमज़ोर सदस्य EWS कोटा से लाभ उठा सकते हैं।

2018 का 102वाँ संशोधन अधिनियम:

- इसने संविधान में अनुच्छेद 338B और 342A प्रस्तुत किया।
- अनुच्छेद 338B नव स्थापित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है।
- अनुच्छेद 342A राष्ट्रपति को किसी राज्य में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदायों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है।
    - इसमें कहा गया है कि आरक्षण का लाभ देने हेतु सामाजिक और पिछड़े वर्गों के लिये किसी समुदाय को केंद्रीय सूची में शामिल करना संसद का कार्य है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/maratha-quota-1